

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

-:: अधिसूचना ::-

पटना-15, दिनांक- /04/2026
संख्या-14/निजी-1214/2025- /सा0प्र0-श्री बुद्ध प्रकाश, बि0प्र0से0,
को0क्र0-354/26, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को दिनांक-
05.01.2026 से दिनांक-15.02.2026 तक कुल-42 (बयालीस) दिनों की उपभोग की गयी
छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के
रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-470(23), दिनांक-
30.03.2026 द्वारा निर्गत छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री बुद्ध प्रकाश, बि0प्र0से0,
को0क्र0-354/26, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को उक्त
छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त कुल-300-42=258 दिनों की उपार्जित छुट्टी आदेय होगी।

3. श्री बुद्ध प्रकाश, बि0प्र0से0 को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र
संख्या-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिक-8(iii) के आलोक में वेतन पुर्जा निर्गत करने
हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना
को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-1214/2025- 7/27 /सा0प्र0 पटना-15, दिनांक-22/04/2026
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार
राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम
से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0)
विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री बुद्ध प्रकाश,
बि0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने
हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 (चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।